



पत्र संख्या- 176/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-18.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 16.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

थाना-जहानागंज:-चोरी की घटना में वांछित एक अभियुक्त चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार***पूर्व की घटना:-***

➡ दिनांक 16.05.2025 को आवेदक निखिल राजभर s/o शिवमंगल राजभर ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आरोपीगण द्वारा वादी मुकदमा को डीजे की बुकिंग करने को लेकर वादी के मो0न0 87***** पर सुहेलदेव युनिवर्सिटी पर बुलाकर मारना पीटना गाली गलौज देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 162/25 धारा 115(2), 352, 351(3) पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 29.06.2024 को आवेदक अरमान पुत्र रमजान निवासी ग्राम पेवठा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ थाना हाजा उपस्थित आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित के वावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0- UP 54 AP 4329 स्पेडर प्लस दुकान के बाहर सैयद मोड़ कस्बा जहानागंज से चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-336/2024 धारा 379 भादवि, दिनांक घटना 27.06.24 समय 05 बजे शाम, घटनास्थल वादी के दुकान के बाहर सैयद मोड़ कस्बा जहानागंज व तफ्तीशी उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना जहानागंज के सम्बन्धित पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.05.25 को व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक बाल अपचारी को समय करीब 10.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 166/25 धारा 4/25 आर्म्स थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 164/25 धारा-303(2)BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 336/24 धारा 379 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 342/24 धारा 380 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार बाल अपचारी:-

01. एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 164/25 धारा-303(2)BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS
02. एक अदद मोटरसाइकिल का साईलेन्सर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 336/24 धारा 379 भादवि
03. एक अदद चाकू

थाना गम्भीरपुर**हत्या के मुकदमे में वांछित 15,000-15,000 रुपये की इनामिया 02 अभियुक्ता गिरफ्तार****पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक घटना 15.10.2022 को वादी अकील अहमद पुत्र मतीन अहमद निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के भाई खुर्शीद अहमद पुत्र मतीन अहमद निवासी उपरोक्त को बच्चों में क्रिकेट के खेल के दौरान हुए मारपीट आदि की रंजिश को लेकर जान मारने की नियत से लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से लैस होकर हमला कर दिये व ईंट पत्थर चलाने लगे जिससे वादी के भाई को चोट लगने से मौके पर बेहोश हो जाना व ईंट पत्थर चलाने से अपरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाना व गाड़ी का सीसा आदि टूट जाना व भाई खुर्शीद अहमद को अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-359/2022 धारा 147,148,149,302,336,427 भादवि व 07 सीएलए एक्ट बनाम 1.नेयाज अहमद s/o नसीर 2. अब्दुल्ला 3. मुजम्मिल 4. नासिर 5.राफे 6 अजमल पुत्रगण नेयाज अहमद 7.नेयाज अहमद की पत्नी 8. नेयाज अहमद की पुत्री नाम अज्ञात समस्त निवासीगण

सा.मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष महोदय द्वारा अभियुक्तों 1. नेयाज अहमद s/o नसीर 2. अब्दुल्ला 3. मुजम्मिल 4. नासिर 5.राफे 6 अजमल पुत्रगण नेयाज अहमद समस्त निवासीगण मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का चालान जरिये आरोप पत्र दिनांक 08.01.2023 मा0 न्यायालय किया गया तथा वांछित अभियुक्तों 1. सहीदा बानो पत्नी नेयाज अहमद 2. तरन्नुम पुत्री नेयाज अहमद समस्त निवासीगण मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ जो लगातार मफरूर चल रही है अभियुक्तागण की गिरफ्तारी के दृष्टिगत वांछित अभियुक्तागण 1. सहीदा बानो पत्नी नेयाज अहमद 2. तरन्नुम पुत्री नेयाज अहमद समस्त निवासीगण सा. मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व मफरूरी में दिनांक 25.02.2023 को आरोप पत्र भी मा.न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तागण 1. शाहीदा बानो पत्नी नेयाज अहमद 2. तरन्नुम पुत्री नेयाज उपरोक्त जो लगातार फरार चल रहीं थी जिनके विरुद्ध दिनांक 19.11.2022 को एन.बी.डब्लू तथा दिनांक 23.12.2022 को 82 सीआरपीसी जारी किया गया जिसका तामिला नियमानुसार कराया जा चुका है तथा मा0 न्यायालय के आदेश का उलन्घन करने के सम्बन्ध मे मु.अ.स. 30/23 धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत 83 सीआरपीसी कुर्की की कार्यवाही दिनांक 19.02.2023 को किया गया था। तत्कालीन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 04.03.2023 अभियुक्तागण उपरोक्त के ऊपर 15000-15000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना व स्वाट टीम का गठन किया गया था। उक्त अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में रोहुआ मुजफ्फरपुर में मामूर था कि एसओजी प्रभारी आजमगढ़ संजय कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पुरस्कार घोषित अभियुक्तागण इस समय विषहम मोड़ बहद ग्राम मंगरावां के पास किसान साधन का इन्तजार कर रही है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ी जा सकती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्ता 01. शाहिदा बानो पत्नी नेयाज अहमद उम्र 55 वर्ष सा.मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 02. तरन्नुम पुत्री पुत्री नेयाज अहमद उम्र 35 वर्ष सा.मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ से आज दिनांक 18.05.2025 समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

- 1.सहीदा बानो पत्नी नेयाज अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. तरन्नुम पुत्री नेयाज अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

अभियुक्ता शाहिदा बानो पत्नी नेयाज अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 359/2022 धारा 147,148,149,302,336,427 भादवि व 07 सीएलए एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-30/2023 धारा-174ए भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

अभियुक्ता तरन्नुम पुत्री नेयाज अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 359/2022 धारा 147,148,149,302,336,427 भादवि व 07 सीएलए एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
- 2.मु0अ0सं0-30/2023 धारा-174ए भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.थानाध्यक्ष बसन्तलाल
- 2.श्री संजय सिंह स्वाट टीम द्वितीय
- 3.सर्विलांस टीम प्रभारी श्री अतुल मिश्रा
- 4.उ0नि0 श्री शाबान खान स्वाट टीम द्वितीय
- 5.हे0का0 सतेन्द्र यादव स्वाट टीम द्वितीय
- 6.का0 मुकेश यादव स्वाट टीम द्वितीय
- 7.हे0का0 संजय सिंह सर्विलांस टीम
- 8.ओपी दिनेश यादव सर्विलांस टीम
- 9.का0 विनोद वर्मा
- 10.का0 अखिलेश चौधरी
- 11.म0का0 श्रुति पाठक
- 12.म0का0 शीला यादव



थाना-फूलपुर:- दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 09.04.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि वादिनी की पुत्री जो दिनांक 09.04.2025 को समय करीब 4.00 बजे दिन में अपने घर से पढ़ने जाने को बता कर निकली परन्तु घर वापस नहीं लौटी जिसे अभियुक्त सलमान पुत्र स्व0 फैजान ग्राम हाजीपुर तकिया थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रा0पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 186/25 धारा 87 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 69 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 18.05.2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी चौकी प्रभारी अम्बारी थाना फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र फैजान निवासी हाजीपुर तकिया थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को समय सुबह 07.25 बजे को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सलमान पुत्र फैजान निवासी हाजीपुर तकिया थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0186/2025 धारा 87/69 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0186/2025 धारा 87/69 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़



